

समय में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,

जनपद सुलतानपुर

विषय - श्री संदीप कुमार (पी0सी0एस0जे0) वर्तमान सिविल जज प्रवर खण्ड सुलतानपुर के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र ।

महोदय,

निवेदन है कि वर्तमान सिविल जज अपने जिन कर्तव्यों के लिए सिविल जज (प्र0ख0) बनाये गये हैं उन कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं । जिन मुकदमों में रुपया पैसा मिलता है उसमें स्टे करते हैं और जिन मुकदमों में रुपया पैसा नहीं मिलता है उसमें नोटिस जारी कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि इनके यहां साधारण वाद सं0 642/2020 दायर किया गया जिसका नाम बनाम रामशब्द मिश्रा बनाम विनोद पाण्डेय है जिसमें स्टे नहीं दिया गया और 11.07.2020 को मुकदमा उठा लिया गया और पुनः मुकदमा दायर करने की अनुमति नहीं मांगी गयी इसके बाद दूसरा मुकदमा उसी विवादित भूमि के बाबत पुनः दायर किया गया जिसका नाम बनाम राम शब्द बनाम विनोद पाण्डेय है जिसका सा0 वाद सं0 692/2020 है इसमें भी स्टे नहीं दिया गया और दिनांक 20.7.2020 को बिना लिवर्टी सीक किये मुकदमा उठा लिया गया । पुनः दिनांक 24.8.2020 को तीसरा मुकदमा दायर किया गया जिसमें विवादित भूमि वही दिखायी गयी जो पूर्व के मुकदमों में दिखाया गया है मात्र प्रतिवादी सं0 01 का नाम बदल गया यह मुकदमा राम शब्द मिश्रा बनाम अजीत तिवारी के नाम से दायर किया इसमें अप्रत्यक्ष लाभ लेते हुए सिविल जज महोदय प्रवर खण्ड ने स्थगन आदेश पारित कर दिया । इस प्रकार इनके द्वारा विधि के प्रतिकूल कार्य किया जा रहा है । एक न्यायाधीश का यह कर्तव्य नहीं है कि एक न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठकर विधि के प्रतिकूल आचरण करे।

श्रीमान जी आप जनपद न्यायाधीश हैं और सुलतानपुर के सभी जज आपके परिधि के अन्तर्गत कार्य करते हैं और प्रार्थी आपसे उम्मीद रखता है कि आप सिविल जज प्रवर खण्ड के विरुद्ध उचित कार्यवाही करें ।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थनापत्र के प्रकाश में उचित कार्यवाही करने की कृपा की जाय ।

संलग्नक --

1- सा0वाद सं0 642/20 दावा की

फोटो कापी

2- दिनांक 16.7.20 को पारित आदेश की फोटो कापी

3- सा0 वाद सं0 692/20 दावा की फोटो कापी

4- पारित आदेश दि0 20.7.20 की फोटो कापी

5- सा0वाद सं0 883/0 में पारित आदेश

दिनांक 24.8.2020 की छाया प्रति।

नोट- शिकायती प्रार्थनापत्र की एक कॉपी प्रेषित
माननीय मुख्य न्यायमूर्ति माननीय उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उ0ख0

प्रार्थी

आर0टी0सिंह

(एडवोकेट)

पता - सिविल कर्ट, सुलतानपुर

दिनांक -

मो0 नं0 - 9839611610

Date - 22-01-21

HL 2200010000 <220001>

HL A 1074225134010

Counter No:1, OP-Code:0723 भारतीय डाक

To:HIGH COURT,

ALLAHABAD CITY H O, PIN:201001

From:F C 3, SBL

Wt:15grams,

PS:22.00, 21/01/2021, 12:41

<<Track on www.indianpost.gov.in>>

ANKAJ KUMAR SINGH, H.J.S.
SENIOR REGISTRAR



'CONFIDENTIAL'
ALLAHABAD HIGH COURT, LUCKNOW

Letter No.: A-866/2021 'Conf.'

DATED : JUNE 24, 2021

To,


BY REGISTERED POST

Shri R.T. Singh (Advocate),
4n Front of Civil Judge (Sr. Div),
Civil Court,
PO/District Sultanpur-228001.
Mobile No. 9839611610

With reference to your complaint dated 21.01.2021 made against Sri Sandeep Kumar, Civil Judge (S.D.), Sultanpur, alleging for illegalities in connection with Case No. 642/2020- Ram Shabd Mishra Vs. Vinod Pandey and Case No. 692/2020- Ram Shabd Vs. Vinod Pandey, Hon'ble the Administrative Judge, Sultanpur has been pleased to pass the following order :-

"The complainant be asked to submit a duly sworn affidavit and/or verifiable material in support of the complaint to this Court, so as to ascertain the authenticity and genuineness of the complaint."

You are, therefore, requested to submit your duly sworn affidavit and/or verifiable material in support of your complaint to the Registrar (Judicial) (Confidential), Allahabad High Court, Allahabad, so that the same may be placed before Hon'ble the Administrative Judge, Sultanpur.


SENIOR REGISTRAR

सेवा में ,

श्रीमान जिला जज महोदय,

जनपद सुलतानपुर

महोदय ,

सविनय निवेदन है कि प्रकरण अत्यन्त गम्भीर व सार्वजनिक महत्व का है । अपवाद को छोड़ दें तो सामान्यतः ही नहीं बल्कि असामान्य परिस्थिति में भी कोई अधिवक्ता किसी न्यायिक पदाधिकारी की शिकायत नहीं करता है क्योंकि प्रत्येक दिन उन्ही के सामने कार्य करना पड़ता है। जब स्थिति असामान्य की सीमा पार हो जाती है तभी प्रार्थना-पत्र दिया जाता है। सिविल जज अवर खण्ड के पीठासीन अधिकारी श्री संदीप मौर्य की छवि/शोहरत कैसी है उसकी गहन जाँच कराये जाने की आवश्यकता है क्योंकि जाँच के बिना तथ्य जुटाना असम्भव है। जाँच न होने व साक्ष्य न होने के कारण गम्भीर से गम्भीरतम प्रकरण भी समय की धारा में बह जाते हैं। फिर उनका पता करना पूरी तरह असम्भव हो जाता है। अगर श्री संदीप मौर्य के शोहरत की जाँच गहराई से हो तो जांच किसी परिणाम तक पहुंच सकती है। इसलिये संदीप मौर्य के प्रकरण की जांच एक कमेटी बनाकर किये जाने की महती आवश्यकता है या सतर्कता विभाग से जाँच करायी जाए कि श्री संदीप मौर्य ने कक्ष सं० 15 के पीठासीन अधिकारी के रूप में कितनी पत्रावलियों में स्थगन आदेश पारित किया और उन पत्रावलियों में कौन कौन से सम्मानित अधिवक्ता थे इससे यह स्पष्ट हो जायेगा एक सामान्य नीति के तहत स्थगन जारी किया गया या उसमें भी भेदभाव किया गया और आदेश में भी नीयत की गयी पत्रावलियों में एक समान रूप से समय के अंतर्गत आदेश पारित किये गये कि नहीं ,ये सभी तथ्य जाँचोंपरान्त पटल पर लाये जा सकेंगे इससे हमारा न्यायिक तन्त्र पारदर्शिता के सिद्धान्त की पराकाष्ठा की ओर अग्रसर होगा ,जो न्यायिक तन्त्र के लिये अच्छा है।

Call for report from court (P.6.)
Concerned within 30 days
Adom
7-4-21

नीरज कुमार उपाध्याय

प्रार्थी

नीरज कुमार उपाध्याय

एडवोकेट

सिविल कोर्ट

सुलतानपुर

7-4-21

श्रीमान
ज. ज. महोदय
सुलतानपुर
7-4-21
Sir
Receiving
7-4-21

प्रेषक,

संदीप कुमार,
सिविल जज (प्रवर खण्ड)
कोर्ट नं०-15, सुलतानपुर ।

सेवा मे,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
सुलतानपुर ।

विषय:- शिकायतकर्ता श्री नीरज कुमार उपाध्याय एडवोकेट के शिकायती प्रार्थनापत्र दिनांकित 07.04.2021 पर श्रीमान जी द्वारा चाही गयी आख्या के सम्बन्ध में ।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि शिकायतकर्ता श्री नीरज कुमार उपाध्याय एडवोकेट ने अपने शिकायती प्रार्थनापत्र दिनांकित 07.02.2021 में प्रार्थी पर जो भी आरोप लगाया है । वे सभी पूर्णतया असत्य व निराधार है । शिकायती प्रार्थनापत्र में लगाये गये आरोपों का तथ्यों से कोई सम्बन्ध नहीं है । न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड) के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए प्रार्थी ने किसी विद्वान अधिवक्ता के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है और न ही किसी विशेष अधिवक्ता को देख कर किसी पत्रावली में कोई विशिष्ट आदेश पारित किया गया है । शिकायती प्रार्थनापत्र के कथन केवल न्यायालय की छबि को धूमिल करने के लिये किये गये गये हैं ।

आख्या श्रीमान् जी की सेवा में सादर प्रेषित है ।

सादर,

भवदीय,
संदीप कुमार-
(संदीप कुमार)
सिविल जज (प्रवर खण्ड)
कोर्ट नं०-15, सुलतानपुर ।

दिनांक: 09.04.2021

आदेश

स्पष्टीकरण के लिये। शिकायतकर्ता नीरज कुमार (एड.) के शिकायती प्रार्थनापत्र में यद्यपि विशिष्ट आरोपों का उल्लेख नहीं है। अधिकारी श्री संदीप कुमार की स्पष्टीकरण। कथित तथ्यों पर प्रमाणित खंडों का उल्लेख किया गया है। प्रार्थनापत्र संश्लेषण से समर्थित नहीं है तथा तथ्यात्मक प्रमाण व सूचना का अभाव है कि उक्त प्रार्थनापत्र पर अग्रिम कार्यवाही का अनुसरण करना नहीं जाता है। किंतु पीठासीन अधिकारी श्री संदीप कुमार के अग्र प्रार्थी के सम्बंध में यह सूचना प्राप्त होती रहती है कि किसी ओर में 'स्टे' नवी प्रिलगते तो उसे कापस लेने की अनुमति देने के बाद पुनः उन्ही पक्ष को द्या उन्ही विषय वस्तु के सम्बंध में नया दस्ता शक्ति आने का स्टे जाये का दिया जाता है। इस मौखिक सूचना पर कुछ प्रमाणों का आलोचना किया जिसे उक्त सूचना को खल मिलगए। श्री संदीप कुमार से अपेक्षित है कि-शक्ति अधिकारी के रूप में उक्त न्यायालय के साथ विधिक कर्तव्य का निर्वहन करे। अज्ञान में सुधा अपेक्षित है। सम्बन्धित सूचना है।

13.4.21

सेवा में,

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद

विषय:— सिविल जज(प्रवर खण्ड) कक्ष संख्या 15 जनपद सुलतानपुर के पीठासीन अधिकारी के घुष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायत:—

महोदय,

प्रार्थी निम्न निवेदन करता है:—

- 1— यह कि सिविल जज (प्रवर खण्ड) कक्ष संख्या 15 महोदय सुलतानपुर के पीठासीन अधिकारी सन्दीप कुमार पैसा लेकर गलत स्थगन आदेश एवं निर्णय दे रहे हैं। जिनके विरुद्ध कार्यवाही किया जाना सामान्य जन में न्याय एवं न्याय पालिका पर विश्वास बनाय रखने के लिए आवश्यक है।
- 2— यह कि वादी गंगाराम ने एक मुकदमा गंगाराम बनाम सन्तराम आदि अर्न्तगत साधारण वाद संख्या— 393/18 न्यायालय श्रीमान् सिविल जज (प्रवर खण्ड) दक्षिणी कक्ष संख्या 24 सुलतानपुर में दायर कर रखा है। उक्त मुकदमें में वादी को स्थगन आदेश नहीं प्राप्त हुआ। मुकदमा आज भी विचाराधीन है।
- 3— वादी मुकदमा गंगाराम उर्फ गंगा प्रसाद ने स्थगन प्राप्त करने के उद्देश्य से उसी विवादित आराजी के सन्दर्भ में एक मुकदमा गंगा प्रसाद बनाम अर्जुन गुप्ता आदि अर्न्तगत सा0वाद सं0— 23/2021 न्यायालय श्रीमान् सिविल जज (प्रवर खण्ड) कक्ष संख्या 15 सुलतानपुर के न्यायालय में दिनांक— 04-01-2021 ई0 को दायर किया। सुनवाई के समय प्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ। वादी ने अपनी कुटिल मंशा की पूर्ति न होते देखकर उपरोक्त मुकदमें को दायरा की तिथि को ही Not Press कर दिया।
- 4— यह कि प्रार्थी ने उसी विवादित आराजी के सन्दर्भ में माननीय सिविल जज (प्रवर खण्ड) कक्ष संख्या 15 सुलतानपुर एवं सिविल जज (अवर खण्ड) कक्ष संख्या 24 सुलतानपुर में कैविएट भी प्रस्तुत कर रखा है।
- 5— यह कि गंगा प्रसाद ने रूपयों के बल पर पीठासीन अधिकारी सन्दीप कुमार से षड्यन्त्र कर उनकी सलाह पर उसी विवादित आराजी के सन्दर्भ में जो कि अर्न्तगत मूलवाद संख्या 393/2018 श्रीमान् सिविल जज (अवर खण्ड) दक्षिणी कक्ष संख्या 24 सुलतानपुर में विचाराधीन है तथा उसी विवादित आराजी जिसे वादी मुकदमा गंगा प्रसाद ने जिसे अर्न्तगत मूलवाद संख्या 23/2021 श्रीमान् सिविल जज (प्रवर खण्ड) कक्ष संख्या 15 सुलतानपुर में विवादित कर मुकदमें को Not Press कर दिया था। पुनः मुकदमा 149 सन् 2021दिनांक— 20-01-2021ई0 को दायर किया।
- 6— प्रार्थी को जानकारी होने पर प्रार्थी जरिये अधिवक्ता मूल वाद संख्या 149 सन् 2021ई0 में हाजिर हुआ तथा पीठासीन अधिकारी सन्दीप कुमार को सारी हकीकत बताई तथा जरिये प्रार्थना पत्र पक्षकार बनने एवं जवाब हेतु अवसर दिनांक— 20-01-2021 ई0 को चाहा।
- 7— पीठासीन अधिकारी सन्दीप कुमार ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं वकालतनामा को Index नहीं किया तथा सारी हकीकत बताने के बावजूद वादी गंगाराम को रूपया के बल पर उक्त मुकदमा मूल वाद संख्या 149 सन् 2021 ई0 में स्थगन आदेश दिनांक— 20-01-2021 ई0 को प्रदान कर दिया गया।
- 8— मूलवाद संख्या 393/2018 गंगाराम बनाम सन्तराम मूलवाद संख्या 23/2021 गंगा प्रसाद बनाम अर्जुन तथा मूल वाद संख्या 149 सन् 2021 ई0 गंगा प्रसाद बनाम चन्द्रशेखर आदि सभी में वादी मुकदमा एक ही व्यक्ति है। तथा विवादित सम्पत्ति भी एक ही है। साधारण वाद संख्या 149 सन् 2021 ई0 वादी ने पीठासीन अधिकारी की सलाह के अनुसार प्रार्थी



को फरीक नहीं बनाया तथा पीठासीन अधिकारी महोदय सन्दीप कुमार ने रूपया लेकर स्थगन आदेश दिया है।

- 9- पीठासीन अधिकारी सन्दीप कुमार खुलेआम भ्रष्टाचार में लिप्त है तथा मुकदमों में पैसा लेकर स्थगन दे रहे हैं तमाम मुकदमों में जिनमें दायरा की तिथि को पीठासीन अधिकारी सन्दीप कुमार ने स्थगन योग्य नहीं पाया बाद में पैसों के बल पर दरखास्त पड़ने पर स्थगन प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी सन्दीप कुमार पैसा लेकर पहले दायर मुकदमों को उठवाकर पुनः मुकदमें दायर कराकर स्थगन आदेश दे रहे हैं। उनका यह कृत्य न्याय बेचना है।

श्रीमान् जी प्रार्थी के मामले में पीठासीन अधिकारी सन्दीप कुमार ने पैसा लेकर सलाह देकर पुनः मुकदमा दायर कराकर स्थगन आदेश बेचा है। जबकि प्रार्थी ने सारी बाते जरिये अधिवक्ता न्यायालय को दिनांक- 20-01-2021 ई0 को उनके समक्ष रखा भी था। ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी के कुकृत्य की स्वतंत्र जांच कराकर उन्हें दण्डित करने की कृपा की जाय। जिससे सामान्य जन का विश्वास न्याय पालिका में बना रह सके।

संलग्नक-

- 1- मु0अ0सं 23/21 न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र0ख0) कक्ष सं0-15 महोदय सुलतानपुर गंगा प्रसाद बनाम अर्जुन गुप्ता आदि
 - 2- नकल अर्जी दावा मय नक्शा नजरी मु0अ0सं0- 149/2021 गंगा प्रसाद बनाम चन्द्रशेखर वर्मा न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र0ख0) कक्ष सं0-15 महोदय सुलतानपुर
 - 3- नकल अर्जी दावा मय नक्शा नजरी मु0अ0सं0 393/2018 गंगाराम बनाम सन्तराम आदि न्यायालय श्रीमान सिविल जज दक्षिणी (अ0ख0) कक्ष सं0-24 महोदय सुलतानपुर
 - 4- कमीशन रिपोर्ट मय नक्शा मुकदमा उपरोक्त
 - 5- सा0वाद सं0-149 सन् 21 में प्रार्थी द्वारा दि0- 20-01-21 ई0 को दिया गया प्रार्थना पत्र की छायाप्रति
- प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-
- 1- माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली।
 - 2- माननीय जिला जज महोदय सुलतानपुर

प्रार्थी

अनिल कुमार

अनिल कुमार सुत सन्तराम
नि0ग्राम- अलीपुर
परगना-मीरानपुर, पोस्ट भरखरे
तहसील- लम्मुआ
जिला- सुलतानपुर

संबन्धित पीठासीन अधिकारी के कार्यालय के लक्ष्य रिपोर्ट दिनांक 6.3.21 को प्रेषित करे।
2.3.21

प्रार्थी

अनिल कुमार

अनिल कुमार सुत सन्तराम
नि0ग्राम- अलीपुर
परगना-मीरानपुर, पोस्ट भरखरे
तहसील- लम्मुआ
जिला- सुलतानपुर

mob- 8081574848

दिनांक 2-2-21